RAJ LAW Publication

बी. के. सिन्हा
ए. एक्का

छत्तीसगढ़

ऑफिस मैन्युअल

हैण्डबुक

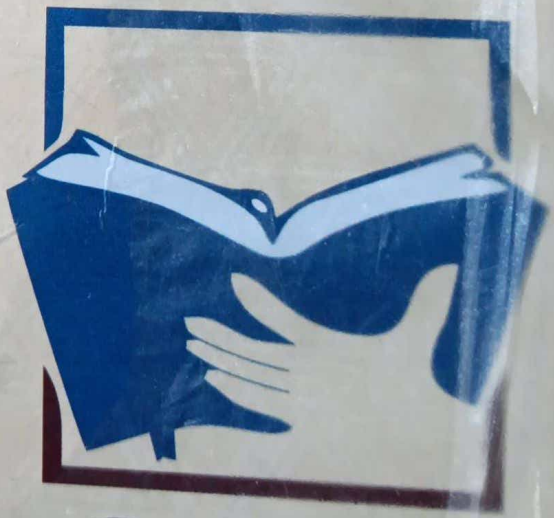

2022

पंचम संस्करण

राज लॉ पब्लिकेशन, रायपुर

अध्याय

23

अन्य प्रकार के भत्ते

(Other Allowances)

1. गृह भाड़ा भत्ता (House Rent Allowance)—

(1) गृह भाड़ा भत्ता प्राप्त करने की पात्रता—राज्य शासन के ऐसे कर्मचारी गृह भाड़ा भत्ता प्राप्त करने हेतु पात्र होते हैं, जो राज्य शासन के अधीन और उसके नियंत्रण में कार्य करते हैं। निम्नानुसार शासकीय सेवक इसे प्राप्त करने हेतु पात्र होते हैं—

(क) ऐसे शासकीय सेवक जो किराए के मकान में रहते हैं या स्वयं के या पत्नी के या पुत्र/पुत्री के मकान में रहते हैं।

(ख) ऐसे शासकीय सेवक, जिनकी सेवाएं स्थाई या अस्थाई हो, गृह भाड़ा भत्ता प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे।

(2) गृह भाड़ा भत्ता प्राप्त करने हेतु अपात्र—निम्नानुसार शासकीय सेवक गृह भाड़ा भत्ता प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होंगे—

(क) वे, जिन्हें वर्तमान बाजार दर पर वेतन/परिश्रमिक प्राप्त होता है।

(ख) ऐसे कर्मचारी जिन्हें शासकीय आवास आवंटित हो परन्तु जिनके द्वारा उसे लेने से मनाकर दिया गया हो।

(ग) ऐसे शासकीय सेवक, जिन्हें अनुसूचित परियोजना क्षेत्र में पदस्थ होने के कारण निर्धारित स्वीकृत दर पर मकान किराया भत्ता प्राप्त हो रहा हो।

(घ) ऐसे कर्मचारी जिन्हें आकस्मिक निधि से वेतन भुगतान किया जा रहा हो।

(ङ) ऐसे कर्मचारी, जहाँ उन्हें निःशुल्क मकान प्राप्त हुआ हो या जिन्हें मकान के बदले गृह भाड़ा प्राप्त होता है।

(च) अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी।

(3) आदेश दिनांक 15-6-1987—1. State Government vide Finance Department Memo No. F.B.11/1/NI/2/87/IV, dated the 16th April, 1987 have issued orders for grant of House Rent Allowance in respect of Government servants who reside in town having a population of 1,00,000 or more less than 50,000.

2. Government upon the decision taken by the State Government relating to the revision of Pay Scales, the State Government are now further pleased to grant House Rent Allowance at revised rates to Government employees residing in towns or cities having population of 50,000 and above. Description of localities where this allowance is payable and the rates at which the allowance will be admissible are given in Annexure-I. The allowance will be paid to the employees under the Rule making control of the State Government, subject to

नियमानुसार 10,000 से अधिक संख्या वाले नगरपालिका नगरों की परीधि के 2 किलोमीटर की दूरी पर निवास करने वाले शासकीय कर्मचारियों को यह परियोजना भत्ता ऐसे परियोजनाओं के लिए देय नहीं है जिनकी कुल लागत पचास लाख से कम है।

7. रोकड़िया को नगद भत्ता—

वित्त विभाग द्वारा जारी ज्ञापन क्रमांक ए-1/87/नि-2/चार, दिनांक 28-5-1987 के अनुसार औसत मासिक वितरण नगद राशि पर भत्ते की दर निम्नानुसार है—

औसत मासिक वितरित नगद राशि	भत्ते दर
रू. 10,000 तक	रू. 20 प्रतिमाह
रू. 10,001 से 25,000 तक	रू. 30 प्रतिमाह
रू. 25,001 से 50,000 तक	रू. 40 प्रतिमाह
रू. 50,001 से अधिक	रू. 50 प्रतिमाह

8. वर्दी एवं धुलाई भत्ता—

(1) छत्तीसगढ़ शासन गृह (पुलिस) विभाग के आदेश क्रमांक एफ 3-88/2011/गृह-दो, दिनांक 13 फरवरी 2015 के ज्ञापन अनुसार आर्हता रखने वाले कर्मचारियों को वर्दी धुलाई हेतु भत्ता रू. 75.00 प्रतिमाह भुगतान करने के आदेश प्रसारित किए गए है। यह भत्ता उन्हीं कर्मचारियों को देय होगा, जो नियमित रूप से वर्दी कार्यालय में पहन कर आते हैं।

(2) **वर्दी सिलाई की दर**—छत्तीसगढ़ शासन द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को दिये जाने वाले वर्दियों की सिलाई/धुलाई दर को आदेश जारी होने की तिथि अर्थात् दिनांक 13-2-2015 से संशोधित कर लागू किया—

क्रमांक	वर्दी का नाम	वृद्धि पश्चात् पुनरीक्षित दर (प्रति नग)
1.	बटन अप कोट	रु. 250/-
2.	ट्राउजर	रु. 135/-
3.	गाँधी टोपी	रु. 40/-
4.	पायजामा	रु. 60/-
5.	बुशर्ट/हाफ कोट	रु. 100/-
6.	गरम ऊनी कोट	रु. 750/-
7.	ब्लाउज/सलुखा	रु. 50/-
8.	पेटीकोट	रु. 30/-

[गृह (पुलिस) विभाग क्र. एफ 3-88/2011/गृह-दो, दिनांक 13-2-2015]

9. पटवारियों को स्टेशनरी भत्ता—

दिनांक 27 मार्च 2012 से पटवारियों को मिलने वाले को स्टेशनरी भत्ते में वृद्धि करते हुए उस रू. 250/- (दो सौ पचार रूपए) प्रतिमाह की दर से स्वीकृत किया गया है।

[वित्त एवं योजना विभाग क्र. 88/एफ-2095/12/वित्त/नियम/चार, दिनांक 27-3-2012]

अध्याय 24

ऋण एवं अग्रिम
(Loan and Advances)

1. प्रस्तावना—

राज्य शासन स्तर से पूर्व में दो प्रकार के अग्रिम शासकीय सेवक को दिए जाते थे, जिसमें जो ब्याज रहित अग्रिम होता है, उसे अग्रिम कहते हैं तथा जो ब्याज सहित होता था, उसे ऋण कहते थे। राज्य शासन द्वारा ब्याज सहित ऋण देना वर्ष 2004 से बन्द कर दिया गया है। इसके स्थान पर शासन द्वारा शासकीय सेवकों को बाह्य संस्थाओं से ऋण उपलब्ध कराने की नई योजना दिनांक 1-6-2004 से लागू की गई।

2. ब्याज रहित अग्रिम—

राज्य शासन द्वारा शासकीय सेवकों को निम्न मदों में ब्याज रहित अग्रिम दिया जाता है। पूर्व में अनाज अग्रिम भी इसी के अधीन दिया जाता था, जिसे वर्तमान में बन्द कर दिया गया है—

(1) स्थानान्तरण पर अग्रिम,
(2) स्थानान्तरण/दौरों पर अग्रिम,
(3) त्यौहार अग्रिम,
(4) गृह नगर की यात्रा हेतु अग्रिम,
(5) विदेश प्रशिक्षण पर जाने वाले शासकीय सेवकों को अग्रिम,
(6) चिकित्सा अग्रिम।

स्पष्टीकरण—राज्य शासन द्वारा अनाज अग्रिम वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 331/एफ 1003491/वित्त/नियम/चार/2012, दिनांक 19-10-2012 द्वारा अनाज अग्रिम को समाप्त कर दिया गया।

(1) **स्थानान्तरण पर वेतन/यात्रा अग्रिम**—यह अग्रिम किसी शासकीय सेवक के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण होने की स्थिति में नए गंतव्य पर जाने के लिए दिया जाता है। इस अग्रिम में एक माह का वेतन, शासकीय सेवक एवं उसके आश्रितों का नए गंतव्य पर पहुँचने का वास्तविक किराया तथा समान का परिवहन व्यय सम्मिलित होता है। वेतन अग्रिम की राशि वेतन से तीन समान किश्तों में तथा यात्रा अग्रिम का समायोजन एक मुश्त यात्रा देयक से किया जावेगा। यह अग्रिम कार्यालय प्रमुख द्वारा स्वीकृत किया जावेगा।

टिप्पणी—(1) आपसी स्थानान्तरों में अग्रिम की पात्रता नहीं होगी।

(2) स्थानान्तर अग्रिम को अंतिम वेतन प्रमाण पत्र पर दर्शाया जाना चाहिए।

(3) अवकाश काल में यदि स्थानान्तर आदेश हुए हो, तब भी शासकीय सेवक को यह अग्रिम देय होगा।

(4) किश्तों का निर्धारण पूर्ण रूपए में किया जाना चाहिए।

(5) शासकीय सेवक, अस्थाई हो या स्थाई, उससे जमानत लेना वांछनीय नहीं होगा।

[नियम 268, छत्तीसगढ़ वित्त संहिता भाग-1]

(2) त्यौहार अग्रिम—राष्ट्रीय एवं अन्य महत्वपूर्ण त्यौहारों पर त्यौहार अग्रिम देने की योजना है, इसके अधीन 15 अगस्त/26 जनवरी, होली, दशहरा, दीपावली, रक्षा बंधन, ईद-उल-फित्तर, ईद-ऊल जुहा, जन्माष्टमी, क्रिसमस-डे आदि त्यौहारों पर शासकीय सेवकों को अग्रिम दिया जाता है। इसमें समस्त तृतीय वर्ग एवं चतुर्थ वर्ग तथा कार्यभारिता/आकस्मिता मद से वेतन पाने वाले कर्मचारी पात्र होते हैं। इसके अधीन निम्न अन्य शर्तें होती है—

(i) अग्रिम की राशि रू. 800/- से अधिक नहीं होगी।

(ii) उस अग्रिम की वसुली वेतन से दस समान किश्तों में की जावेगी।

(iii) कलेण्डर वर्ष में केवल एक बार दिया जावेगा, बशर्ते पिछला अग्रिम बकाया न हो।

(iv) यह अग्रिम कार्यालय प्रमुख द्वारा स्वीकृत होगा।

[वित्त एवं योजना विभाग क्र. 331/एफ-1003419/वि/नि/चार, दिनांक 19-10-2012]

(3) गृह नगर की यात्रा भत्ता—इस योजना की मुख्य बातें निम्नानुसार है-

(i) इसके लिए समस्त श्रेणी के शासकीय सेवक पात्र होते हैं।

(ii) दोनों ओर यात्रा पर होने वाले व्यय का 4/5 मात्र अग्रिम रूप में देय।

(iii) जहाँ शासकीय सेवक एवं उसका परिवार पृथक-पृथक यात्रा करना चाहते हैं, वह अग्रिम पृथक-पृथक स्वीकृत किया जा सकता है।

(iv) जहाँ अवकाश अवधि 90 दिन से अधिक है, वहाँ मात्र एक ओर का ही अग्रिम स्वीकृत किया जावेगा।

(v) इस अग्रिम की वसूली एक मुश्त यात्रा देयक से की जावेगी।

(vi) इस अग्रिम को स्वीकृत करने हेतु कार्यालय प्रमुख प्राधिकृत है।

(vii) अगर किसी अस्थाई शासकीय सेवक द्वारा अग्रिम लिया जा रहा है तब किसी स्थाई/शासकीय सेवक की जमानत आवश्यक होगी।

[वित्त विभाग क्र. 1342-सी.आर.-2654-आर-आर.एफ-72, दिनांक 27-11-1972]

(4) विदेश प्रशिक्षण में जाने वाले शासकीय सेवकों को अग्रिम—इस योजना के अधीन मुख्य बातें निम्नानुसार है—

(i) इसके लिए समस्त श्रेणी के शासकीय सेवक पात्र होंगे।

(ii) अग्रिम की राशि विदेश प्रशिक्षण की समयावधि के बराबर महीनों की संख्या के लिए अधिकारी के वेतन तक सीमित रहेगी।

(iii) अग्रिम की वसूली हेतु किश्तों की संख्या इस प्रकार होगी—

(क) तीन माह के विदेश प्रशिक्षण हेतु—तीन

(ख) तीन माह से अधिक, किन्तु बारह माह से अधिक नहीं हेतु—महीनों में प्रशिक्षण अनिवार्यतः।

(iv) 12 माह से अधिक निर्देश प्रशिक्षण—बारह

(v) एक माह के वेतन तक अग्रिम हेतु कार्यालय प्रमुख तथा इससे अधिक के लिए विभाग प्रमुख।

टिप्पणी—इस नियम के प्रयोजनार्थ 22 दिन से अधिक को एक माह तथा 22 दिन से कम को गणना में नहीं लिया जावेगा। [नियम 269, वित्त संहिता भाग-एक]

3. शासकीय सेवकों को वित्तीय संस्थाओं से गृह निर्माण/क्रय, वाहन, कम्प्यूटर अन्य घरेलू उपकरण का क्रय एवं उच्च शिक्षा के लिए ऋण उपलब्ध कराने की योजना—

1. **योजना का नाम**—यह योजना **''शासकीय सेवकों को वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने की योजना''** कहलायेगी।

2. **उद्देश्य**—इस योजना का उद्देश्य शासकीय सेवकों को उनके द्वारा चयनित वित्तीय संस्था से आवासीय प्लाट का क्रय, गृह निर्माण/क्रय, वाहन/कम्प्यूटर एवं अन्य घरेलू उपभोक्ता उपकरणों या बच्चां/स्वयं की उच्च शिक्षा के लिए सरलता से ऋण उपलब्ध कराना है।

3. **प्रारम्भ**—यह योजना दिनांक 1-6-2004 से प्रारम्भ होगी।

4. **विस्तार**—(i) यह योजना निम्नांकित वर्गों को छोड़कर राज्य शासन के समस्त स्थाई/अस्थाई कर्मचारियों पर लागू होगी—

(अ) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी;

(ब) दैनिक वेतन पर नियुक्त कर्मचारी;

(स) आकस्मिकता निधि/कार्यभारिता स्थापना के अस्थाई सदस्य;

(द) पुनर्नियुक्ति प्राप्त कर्मचारी;

(इ) राज्य शासन में प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मचारी।

(ii) ऐसे कर्मचारी जिन्होंने 5 वर्ष की स्थायी/अस्थाई सेवा पूर्ण कर ली हो तथा जिनकी अधिवार्षिकी पर सेवानिवृत्ति हेतु 2 वर्ष से अधिक अवधि शेष है, इस योजना के अंतर्गत ऋण लेने के लिए पात्र होंगे। जो शासकीय कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर है, उन पर भी यह योजना लागू होगी।

5. **ऋण का उद्देश्य**—इस योजना के अंतर्गत शासकीय कर्मचारियों को व्यावसायिक बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से निम्नांकित उद्देश्यों हेतु ऋण प्राप्त हो सकेगा—

(1) किसी भी स्थान पर स्वयं के आवास हेतु आवासीय भू-खण्ड क्रय अथवा भवन के क्रय/निर्माण एवं परिवर्तन हेतु;

(2) नवीन/पुराने वाहन के क्रय हेतु;

(3) कम्प्यूटर/टेलीविजन/रेफ्रिजरेटर क्रय हेतु;

(4) राज्य शासन से पूर्व के लिए गए आवासीय प्लाट/भवन निर्माण अग्रिम, वाहन क्रय अग्रिम की राशि के समय पूर्व भुगतान हेतु;

(5) स्वयं तथा अपने बच्चों की उच्च शिक्षा हेतु;

4. स्व-वाहन सुविधा योजना—

शासन ने मंत्रालय तथा विभागाध्यक्ष कार्यालयों में पदस्थ वरिष्ठ अधिकारियों को नवीन वाहन क्रय पर आवंटित करने की बजाय ''स्व-वाहन सुविधा योजना'' लागू करने का निर्णय लिया है। यह योजना अधिसूचना क्र. 327/नियम/वित्त/IV/2001, दिनांक 28 मई, 2001 द्वारा लागू हो गई है। यह योजना इस उद्देश्य से लागू की गई है कि शासकीय वाहनों की संख्या कम की जाये ताकि वाहनों पर हो रहे आवर्ती व्यय को कम किया जा सके।

योजना निम्नानुसार है—

(1) योजना—इस योजना का नाम **''स्ववाहन/सुविधा योजना''** होगा।

(2) यह योजना वैकल्पिक होगी।

(3) पात्रता—(1) छतीसगढ़ शासन के मंत्रालय तथा विभागाध्यक्ष कार्यालय में पदस्थ निम्न अधिकारी इस योजना से आवृत्त होंगे—

(i) वरिष्ठ वेतनमान अथवा उससे उच्च वेतनमान के अखिल भारतीय सेवा (भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा) के अधिकारी,

(ii) उप सचिव तथा उससे उच्च स्तर के अधिकारी, जिसमें उच्च न्यायालय व विधानसभा के अधिकारी भी शामिल हैं,

(iii) संयुक्त संचालक तथा उससे उच्च स्तर के अधिकारी,

(iv) अधीक्षण यंत्री तथा उससे उच्च स्तर के अधिकारी।

(2) यदि किसी अधिकारी द्वारा एक बार इस योजना का चयन किया जाता है तो पूरे सेवा काल में किसी भी पदस्थापना पर वे इस योजना की शर्तों व नियमों से बाध्य होंगे एवं इस योजना के नियमों के तहत् शासन के किसी भी पद पर रहते हुए राशि की प्रतिपूर्ति के पात्र होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि का नियमन इस अधिसूचना के पैरा-9 अनुसार किया जाएगा।

5. वाहन अग्रिम—

(1) योजना का विकल्प देने वाले अधिकारी को रुपये 3.00 लाख अथवा वाहन की कीमत, जो भी कम हो, वाहन अग्रिम दिया जायेगा। अग्रिम केवल नवीन वाहन क्रय के लिए दिया जायेगा। वाहन अग्रिम की राशि समय-समय पर वाहनों की बढ़ती कीमतों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा पुनरीक्षित की जा सकेगी।

(2) वाहन अग्रिम पर 11 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज देय होगा।

(3) कतिपय मामलों, जहाँ वाहन निर्माता द्वारा यह शर्त लगा दी जाती है कि वाहन की बुकिंग के समय वाहन की सम्पूर्ण कीमत अग्रिम के रूप में डिपाजिट की जाए वहाँ अग्रिम रूप से राशि अधिकृत विक्रेता के पास जमा करने हेतु अग्रिम प्राप्त किया जा सकेगा, परन्तु इस प्रकार प्राप्त किये गये अग्रिम पर यदि कोई ब्याज प्राप्त होता है तो संबंधित अधिकारी को ब्याज की राशि शासन को वापस करनी होगी।

(4) वाहन अग्रिम की वसूली वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार ही इस योजना के अंतर्गत प्राप्त किये गये अग्रिम के मूलधन एवं ब्याज की वापसी अधिकतम 10 वर्ष की समयावधि में की जायेगी।

(5) पात्र अधिकारियों द्वारा शासन के नियमों के अन्तर्गत अन्य किसी भी प्रकार के अग्रिम जैसे—गृह निर्माण, कम्प्यूटर अग्रिम के अतिरिक्त इस योजना के अन्तर्गत वाहन अग्रिम प्राप्त किया जा सकेगा। ऐसे प्रकरणों में जहाँ अधिकारियों द्वारा पूर्व में वाहन अग्रिम प्राप्त किया गया है, इस योजना के अन्तर्गत अग्रिम प्राप्त करने हेतु यह आवश्यक होगा कि पूर्व में प्राप्त किये गये अग्रिम के विरुद्ध शेष राशि ब्याज सहित एकमुश्त शासकीय कोष में जमा कर दी जाए। परन्तु, यह प्रतिबंध उन मामलों में लागू नहीं होगा जहाँ कार की अग्रिम बुकिंग के लिए डिपाजिट करने हेतु अग्रिम लिया गया है—ऐसे मामलों में वाहन की डिलेवरी प्राप्त करने पर पुराने अग्रिम के विरुद्ध शेष राशि जमा करना आवश्यक होगा।

(6) जिन अधिकारियों द्वारा योजना का विकल्प नहीं दिया जाता है उन्हें स्वमेव शासकीय वाहन की पात्रता नहीं होगी। प्रशासकीय विभाग संबंधित अधिकारी के कार्य के आधार पर इसका निर्धारण करेंगे।

6. ऋण तथा अग्रिम के संबंध में—

वित्त विभाग के संदर्भित पत्र क्रमांक/513/एल-14/2/03/ब-4/चार/2003, दिनांक 10-12-2003 (वित्त निर्देश 61/2003) द्वारा विभागाध्यक्ष कार्यालयों में ऋण तथा अग्रिमों से संबंधित पंजी के संधारण तथा ऋण स्वीकृति आदेश में ऋण की शर्तों का स्पष्ट उल्लेख करने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं।

(2) महालेखाकार के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में ऋण तथा अग्रिमों की स्वीकृति एवं वसूली के संबंध में यह आपत्ति ली गयी है कि ऋण स्वीकृति के प्रकरणों में छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-I के नियम 220 का पालन नहीं किया जा रहा है, अर्थात् ऋण स्वीकृति आदेश में पुनर्भुगतान की शर्तों का उल्लेख नहीं किया जा रहा है।

(3) अतः सभी विभागों को निर्देशित किया जाता है कि अपने विभागाध्यक्ष कार्यालयों को उक्त संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी वित्त निर्देश 61/2003 का पालन सुनिश्चित करने एवं ऋण स्वीकृति आदेश में ऋण की वसूली विलंब से होने की स्थिति में देय दाण्डिक ब्याज, प्रथम किश्त के भुगतान की तिथि तथा स्थगन अवधि का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना सुनिश्चित करें।

[वित्त विभाग क्र. 958/03939/संसा./ब-4/चार, दिनांक 16-10-2017]

-०००-

अध्याय

25 शासकीय सेवकों को चिकित्सा सुविधा

(Medical Benefits to Government Servants)

1. प्रस्तावना—

राज्य शासन द्वारा शासकीय सेवकों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ-21-05/2010/नौ/55 दिनांक 14 मार्च 2013 द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्चा) नियम 2013 लागू किया गया है जिसका प्रमुख लक्ष्य शासकीय सेवकों को चिकित्सा सुविधा प्रक्रिया को विनियमित करना है।

2. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013—

[1]**स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अधिसूचना क्रमांक एफ 21-05/2010/नौ/55, दिनांक 14 मार्च, 2013**—राज्य शासन के अधीन नियोजित कर्मचारियों की चिकित्सा परिचर्या तथा उपचार के विनियमन के लिये नियम बनाये गये हैं जो इस प्रकार है :—

1. लागू होना—(1) ये नियम किन पर लागू होंगे :—

(क) राज्य शासन के नियंत्रणाधीन समस्त शासकीय सेवक, जब वे शासकीय कर्तव्य पर हों या प्रतिनियुक्ति पर हों या प्रशिक्षणाधीन हों या छुट्टी पर हों या निलम्बनाधीन हों या छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर पदस्थ हों,

(ख) संविदा के आधार पर नियोजित कर्मचारी,

(ग) प्रशिक्षणाधीन या कर्तव्यस्थ नगर सैनिक,

(घ) आकस्मिकता स्थापना से वेतन पाने वाले पूर्वकालिक कर्मचारी,

(ङ) समस्त विभागों या राज्य शासन द्वारा प्रारंभ की गई परियोजनाओं में मासिक वेतन पर निरंतर नियोजित कार्यभारित स्थापना (वर्क-चार्ज एस्टैब्लिसमेंट) के सदस्य,

(च) **अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ विरुद्ध भारत संघ, ए.आई.आर. 2002 एस.सी. 1752** के प्रकरण में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए, विधि विभाग द्वारा समय-समय पर बनाये गये नियमों/जारी आदेशों/उपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुए, न्यायिक अधिकारी।

(2) ये किन पर लागू नहीं होंगे :—

(क) सेवानिवृत्त कर्मचारी,

(ख) अंशकालिक कर्मचारी,

(ग) राज्य शासन के अधीन कार्य करने वाले अवैतनिक (मानद) कर्मचारी,

1. छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 3-4-2013, पृष्ठ 267-268(19) पर प्रकाशित। दिनांक 3-4-2013 से प्रयोज्य।